

प्रेस नोट थाना रसूलपुर फिरोजाबाद
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम ने मु0अ0सं0 03/2021 धारा 302 भादवि का किया सफल अनावरण, पत्नी ने ही की थी अपने पति की हत्या।

पत्नी को आलाकल सहित किया गिरफ्तार।

स्वयं के बचाव हेतु पत्नी ने अपने पति की हत्या कर मौहल्ले में अपनी लडकी से कहलवाया था कि पापा ने फाँसी लगा ली है।

विवरण:-

दिनांक 02.01.2021 को गंगानगर आसफाबाद में बन्टी पुत्र जगराम निवासी गंगानगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद की मृत्यु हुई। तथा उसी दिन अभियुक्ता ने शाम को अपनी लडकी कामिनी से मौहल्ले में बताया कि पापा ने फाँसी लगा कर आत्म हत्या कर ली है तथा मौहल्ले वालों को यह जानकारी हुई कि मृतक बन्टी उपरोक्त ने फाँसी लागकर आत्म हत्या की है। क्योंकि अभियुक्ता पूनम ने अपने पति बन्टी के गले में मफलर डाल कर लटका दिया था जिससे लोगो को यह जनकारी हुई कि उसके पति ने फाँसी लगाकर आत्म हत्या कर ली मौहल्ले के लोग उसको डाक्टर के यहाँ ले गये थे। जहाँ बताया गया उसने फाँसी लगी ली है। लेकिन बन्टी की मृत्यु हो गयी थी तथा रिस्तेदारों एव आस पास के लोगो ने मृतक के शव को देखकर बताया कि उसकी मृत्यु फाँसी से नहीं हुई है एसा लग रहा है और मृत्यु का कारण जानने के लिये मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करा दिया जाए जिस पर थाना हाजा पर दिनांक 03.01.2021 को फौती सूचना दी गयी जिसपर मृतक बन्टी का उ0नि0 श्री वासुदेव सिंह द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम से बन्टी उपरोक्त की हत्या होना पाया गया और मृतक के सिर पर चोट (head injury) होना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा मु0अ0सं0 3/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ। पीएम रिपोर्ट की गहनता से जाँच की गयी तथा मौहल्लेवासी व अन्य लोगो से भी जानकारी की गयी तो लोगो ने बताया घर से लडकी निकली थी उसने बताया कि पापा ने फाँसी लागकर आत्म हत्या कर ली है। लेकिन यह बात गलत थी और उसकी वच्चियों से पूछताछ की गयी तो उसकी माँ पूनम द्वारा ही उसके पापा के मारने की बात प्रकाश में आयी। आज दिनांक 08.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक फतेहबहादुर सिंह भदौरिया मय उ0नि0 श्री वासुदेव सिंह मय हमराह है0का0 707 कन्हैया लाल का0 792 दिनेश कुमार का0 85 लक्ष्मीकान्त महिला का0 216 रीतू व म0का0 313 संध्या कुमारी द्वारा अभियुक्ता पूनम पत्नी स्व0 बन्टी निवासी गंगानगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को मय मृतक बन्टी की हत्या में प्रयुक्त हथौडे के गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्ता पूनम ने बताया कि साहब मेरा पति बन्टी शराब पीने का आदी था। और रोजाना शराब पीकर आकर मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट करता था। इस कारण मुझे अपने पति से नफरत सी होने लगी थी। मेरे पति बन्टी के पास गाँव सिद्धपुरा थाना नसीरपुर में 27- 28 वीघा खेत था। मेरे पति ने 7 वीघा जमीन बेच दी थी। जिसका पैसा मेरे पति ने जो कर्ज लिया था कर्जदारों को चुका दिया था। वचा हुआ पैसा जो घर में रखा था उसको भी खतम करना चाह रहा था। तथा शराब पीने के लिये रोज रोज पैसे माँगता था। मेरे पति शराब पीने का आदी हो गया था दिनांक 02.01.2021 को शाम को मैं सामने वाले कमरे में थी मेरा पति बन्टी शराब पीकर घर आया तथा मैंने पास में ही रखे हथौडे से उसके सिर पर मार दिया। हथौडा उसके माथे पर लगा था। तथा दूसरा बार सिर में मारा। तो वह वही गेट के पास ही बैठ गया था। और बेहोश हो गया। तो मैंने अपने बचने के लिए उसके मफलर को उसके गले में बाँध कर ऊपर बाँस पर बाँध दिया। ताकि लोग यह समझे कि बन्टी ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिर दूसरे कमरे में जाकर अपनी पुत्री कामिनी से कहा कि बाहर से सबको बता दे कि पापा ने फाँसी लगा ली है। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 3/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत है विवेचना प्रचलित है। अभियुक्ता को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता

1. अभियुक्ता पूनम पत्नी स्व0 बन्टी निवासी गंगानगर आसफाबाद थाना रसूलपुर फिरोजाबाद

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 3/21 धारा 302 भादवि थाना रसूलपुर फिरोजाद **बरामदगी** हत्या में प्रयुक्त एक हथौडा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.SHO श्री फतेह बहादुर सिंह भदौरिया प्रभारी निरीक्षक 2. उ0नि0 श्री वासुदेव सिंह 3. है0का0 707 कन्हैया लाल 4. का0 792 दिनेश कुमार 5. का0 85 लक्ष्मीकान्त 6. महिला का0 216 रीतू 7. म0का0 313 संध्या कुमारी थाना रसूलपुर फिरो0

